

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12 (1) राज/वाद/2025

जयपुर, दिनांक:- 17/11/25

—:आज्ञा:—

भारत सरकार द्वारा वादकरण के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिये जारी निर्देशिका के क्रम में राजस्थान राज्य की राज्य वादकरण नीति 2018 के पुनर्गठन, संशोधन, रूपान्तरण और पुनःस्वरूपण के लिए एक समिति का गठन निम्नानुसार एतद्वारा किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	समिति का पद
1.	प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग	सदस्य
3.	विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग	सदस्य
4.	विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना संगठन) विभाग	सदस्य
5.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग	सदस्य
6.	संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (विधि प्रकोष्ठ) विभाग	सदस्य-सचिव

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

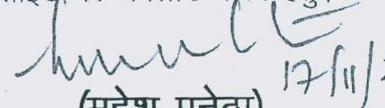
राज्यपाल की आज्ञा से,

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि
जयपुर, दिनांक:-

क्रमांक प.12 (1) राज/वाद/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर, राजस्थान।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, जयपुर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान।
7. शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान।
8. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग राजस्थान।
9. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना संगठन) विभाग राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग राजस्थान।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (विधि प्रकोष्ठ) विभाग राजस्थान।
12. एनालिटि कम प्रोग्रामर सह उप निदेशक, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (वादकरण) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को भेजकर अनुरोध है कि राजस्थान राज्य की राज्य वादकरण नीति 2018 के पुनर्गठन, संशोधन, रूपान्तरण और पुनःस्वरूपण के लिये आपके विभाग से संबंधित सुझाव भिजवाने का श्रम करावें।

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।

11

विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (वादकरण) विभाग